## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश केम्प भोपाल

निगरानी क्र. /2015

निग / 3449 / II / 15

1. भुजवलसिंह आत्मज देवीसिंह आयु 50 वर्ष
2. बाबूसिंह आत्मज डालूसिंह आयु 65 वर्ष
दोनों निवासी ग्राम जहाजपुरा
तहसील बुदनी जिला–सीहोर (म.प्र.) ......................निगरानीकर्तागण

**विरूद्ध**

1. हल्का पटवारी ग्राम जहाजपुरा
तहसील रेहटी जिला सीहोर (म.प्र.) ..................प्रतिनिगरानीकर्ता

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता**

महोदयजी,

निगरानीकर्तागण विद्वान तहसीलदार रेहटी द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 01/अ–13/14–15 में पारित आदेश दिनांक 01–08–15 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह निकरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं :–

**प्रकरण के तथ्य :–**

1- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण ग्राम जहाजपुरा की भूमि खसरा नं. 10/5 एवं 15/6 तथा खसरा नं. 15/1 के मालिक स्वामी हैं। प्रतिनिगरानीकर्ता हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26–06–15 को प्रतिवेदन एवं पंचनामा तहसील न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम जहाजपुरा प.ह.नं. 23 स्थित टोला आवादी भूमि खसरा नं. 14/1 रकबा 1.416 हे. के निवासियों को उक्त टोले से माथनी, जहाजपुरा मुख्य मार्ग पर जाने का कोई शासकीय रास्ता नहीं है। उक्त टोले के निवासी ग्राम के भुजवल एवं बाबूसिंह की भूमि खसरा नं. 10/5, 15/6 एवं 15/1 पर वर्ष 1973 से प्रचलित रूढ़ीगत रास्ते का उपयोग आवगमन हेतु करते चले आ रहे हैं। प्रचलित रास्ता मौके पर 20 फिट चौड़ा पाया गया।

2- यह कि हल्का पटवारी ग्राम जहाजपुरा की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीवद्ध कर विद्वान तहसीलदार द्वारा म.प्र.भू–राजस्व संहिता की धारा 131 सहपठित धारा 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ अंतरिम आदेश पारित करते हुऐ,

निरंतर.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3449–दो/2015 जिला सीहोर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 30 – 7–2016 | आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार रेहटी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 01/अ–13/14–15 में पारित आदेश दिनांक 01–8–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ आवेदक अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। अनावेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये तहसीलदार रेहटी ने आवेदक की भूमि पर अंतरिम रास्ता खोलने के आदेश दे दिये हैं। तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम जहाजपुरा के अनुसूचित जाति टोला के निवासियों के आवागमन हेतु तहसीलदार ने म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 एवं सहपठित धारा 32 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अंतरिम रूप से 20 फिट रास्ता खोलने के आदेश दिये हैं। तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई तथा जबाव के अंतरिम रास्ता खोलने के आदेश दिये | |

हैं, जो नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि किसी हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करना उचित नहीं कहा जा सकता। जहां तक अनुसूचित जाति टोला के निवासियों को रास्ता दिये जाने के आदेश का प्रश्न है तहसीलदार का आदेश दिनांक 01–08–15 इस स्तर तक संशोधित किया जाता है कि "मौके पर 20 फिट चौड़ा रास्ते" के स्थान पर "आने–जाने हेतु रास्ता अंतरिम रूप स्वीकृत किया जाकर खुलवाया जाये"। अतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार को उपरोक्त आदेश के साथ आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत अधिकतम तीन माह में गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य